यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण

1. जवानाराम पुत्र भूराराम जाट
2. धारूराम पुत्र भूराराम जाट
3. हरिराम पुत्र भूराराम जाट

तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमां नम्बर :– 2022/112 आदेश दिनांक :– 14.03.2022

आदेश

प्रार्थी की आरे से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि किनसरिया के खसरा नम्बर 128, 129, 130, 534/129, 535/129 कुल रकबा 1.38 हैक्टयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.94 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण की जाति नाथ दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति जाट है। प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण की जाति जाट दर्ज है। दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति सही दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं राजपैरोका तहसीलदार परबतसर ने इकबालिया जबाब / राजीनामा पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण / राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात से भी प्रार्थीगण की जाति जाट होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि किनसरियां के खसरा नम्बर 128, 129, 130, 534/129, 535/129 कुल रकबा 1.38 हैक्टयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.94 हैक्टयर की भूमि में प्रार्थीगण की जाति नाथ के स्थान पर जाट दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।

14/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)